डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

पीठासीन अधिकारीः– सुनीता मीना आर.ए.एस

उनवान

रामफल पुत्र स्व चिरंजी जाति मीना निवासी रानौली तहसील टोडाभीम।

(वादी)

बनाम

1. हरीसिंह पुत्र रत्तीराम मीना
2. प्रेमचन्द पुत्र रत्तीराम मीना
3. नरेशी पुत्र रत्तीराम मीना
4. रविन्द्र कुमार पुत्र रत्तीराम मीना
5. ख्यालबाई पुत्री रत्तीराम मीना
6. विश्राम पुत्र गंगासहाय मीना
7. ओमप्रकाश पुत्र गंगासहाय मीना
8. कमलेशी पुत्री गंगासहाय मीना

निवासी रानौली तहसील टोडाभीम।

(प्रतिवादीगण)

दावा बावत घोषणा खातेदारी

मु0न0:– 27 / 2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबई श्री हसंराम गूर्जर एडवोकेट व .... हमारे निनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है, व डिक्री दी जाती है कि

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र बावत घोषणा खातेदारी स्वीकार योग्य नही होने से खारिज किया जाता है।

निज.......................मुबलिंग.............................बाबत..........................खर्चा इस मुकदमे के मय शूद बशरह.....................फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक..............अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 30.08.2024 को जारी की गई।

(सुनीता मीना)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-गंगापुर सिटी

मुदई	रुपया	पैसे	मुदायला	रुपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकाल नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बावत इजराय हुक्मनामा		
बवत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					

न्यायालय— उपखण्ड अधिकारी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

वाद

दिनांक— xx.xx.2022

पीठासीन अधिकारी— सुनीता मीना आरएएस

उन्वान

रामफूल पुत्र स्व किशोरी जाति मीना निवासी सनौली तहसील टोडाभीम।

(वादी)

बनाम

1. ओमसिंह पुत्र सतीराम मीना
2. उम्मेद पुत्र सतीराम मीना
3. मोती पुत्र सतीराम मीना
4. रविन्द्र कुमार पुत्र सतीराम मीना
5. श्यालबाई पुत्री सतीराम मीना
6. विक्रम पुत्र मंगलसहाय मीना
7. ओमप्रकाश पुत्र मंगलसहाय मीना
8. कलावती पुत्री मंगलसहाय मीना

निवासी सनौली तहसील टोडाभीम।

(प्रतिवादीगण)

दावा बाबत घोषणा खातेदारी

उपस्थिति— श्री हंसराज गुर्जर एडवोकेट वादीगण

निर्णय

दिनांक 30.08.2024

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम सनौली की आराजी खसरा 1917/0.13, 1918/0.12, 865/0.16, 867/0.10 कुल किता 4 कुल रकबा 0.51 है0 मिलान क्षेत्रफल संख्या 2042-43 अनुसार साबिक खसरा 1194, 1188, 1253 मिन से बने है।

यह है कि साबिक खसरा 1194, 1188, 1253 की खातेदारी जरिये बन्दोबस्त सनौली संवत 2008—2019 तक में वादी के कुर्सी कैली पुत्र कुम्भा हिस्सा 1/3 दर्ज है तथा जमाबन्दी संवत 2009—12 तक यही इन्द्राज दर्ज है लेकिन ग्राम सनौली के नामांतकरण नं0 407 दिनांक 13.05.1973 में द्वारा विरासत के आधार पर कैली पुत्र कुम्भा हिस्सा 1/3 की खातेदारी कालम नं0 11 में सतीराम, मंगलसहाय पि0 मौज्या के नाम दर्ज कर दिया है, जो बिल्कुल गलत व अवैध है। कैली के उक्त सतीराम व मंगलसहाय पुत्र नही है। कैली का पुत्र रामचरण, रामचरण का पुत्र किशोरी व किशोरी का पुत्र रामफूल वादी है तथा कैली की विरासत का नामांतकरण उसके पुत्र रामचरण के नाम खुलना चाहिये था और रामचरण की मृत्यु के बाद किशोरी के नाम खुलना चाहिये था तथा किशोरी की मृत्यु के बाद उसके पुत्र रामफूल के नाम खुलना चाहिये था तथा किशोरी का एक मात्र वारिस रामफूल ही है। इस प्रकार उक्त भूमि का कैली के स्थान पर सतीराम व मंगलसहाय के नाम नामांतकरण खुलकर खातेदारी हुई है वह गलत व अवैध है तथा वह नामांतकरण काबिल खारिज व बेअसर वादी है।

(सुनीता मीना)

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर

टोडाभीम, जिला-गंगापुर सिटी

क्रमशः— [illegible]

यह है कि वादी ने प्रतिवादीगण से दिनांक 3.07.2022 को बात के [illegible] की खातेदारी [illegible] के नाम गलत इन्द्राज दर्ज हो गयी है। तहसील में [illegible] नाम खातेदारी [illegible] इन्कार हो गये इसलिये यह दावा पेश करना [illegible] हुआ है। सतीराम, गंगासहाय पुत्र मौज्या का देहान्त हो चुका है उनके पुत्र व पुत्री [illegible] जीवित है जो दावा में बतौर प्रतिवादीगण बनाये गये है।

अतः दावा वादी खिलाफ प्रतिवादीगण बाबत घोषणा खातेदारी डिक्री किया जाकर भूमि खसरा 1917/1.02, 1918/1.02, 365/1.15, 367/1.10 कुल किता 4 कुल रकबा [illegible] है. में वादी को 1/9 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे, तथा जमाबन्दी में दर्ज नाम गंगासहाय पुत्र मौज्या हिस्सा 1/18 सतीराम पुत्र मौज्या हिस्सा 1/18 को [illegible] कर उनके स्थान पर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी गण बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

वादी ने वादपत्र के समर्थन में अपना स्वयं का शपथपत्र पेश किया। एवं वादपत्र के समर्थन में ग्राम [illegible] की जमाबन्दी संवत 2075–78 प्रदर्श–1, मिलान [illegible] संवत 2010–12 प्रदर्श–2, जमाबन्दी खातौनी ग्राम [illegible] संवत 2022– प्रदर्श–4, खातौनी बन्दोबस्त मौजा [illegible] संवत 2016–13 प्रदर्श–5, जमाबन्दी खातौनी ग्राम [illegible] संवत 2012–16 प्रदर्श–6, जमाबन्दी खातौनी ग्राम [illegible] संवत 2009–12 प्रदर्श–7, ग्राम [illegible] नामांतकरण न0 407 दिनांक 13.05.1973 प्रदर्श–8, नामांतकरण न0 23 प्रदर्श–9 पेश किये है।

वादी वकील की बहस सुनी गई। वादी वकील ने वादपत्र में वर्णित तथ्यो का [illegible] करते हुये कथन किया कि वादपत्र में वर्णित [illegible] मिलान [illegible] संवत 2010–12 अनुसार साबिक खसरा 1194, 1188, 1252 [illegible] है। साबिक खसरा 1194, 1188, 1252 की खातेदारी खातौनी बन्दोबस्त [illegible] संवत 2016–2019 तक में वादी के [illegible] पुत्र [illegible] हिस्सा 1/9 दर्ज है तथा जमाबन्दी संवत 2009–12 तक यही इन्द्राज दर्ज है लेकिन ग्राम [illegible] के नामांतकरण न0 407 दिनांक 13.05.1973 के द्वारा विरासत के आधार पर [illegible] पुत्र [illegible] हिस्सा 1/9 की खातेदारी [illegible] न0 [illegible] में सतीराम, गंगासहाय पि0 मौज्या के नाम दर्ज कर दिया है, जो बिल्कुल गलत व अवैध है। [illegible] के उक्त सतीराम व गंगासहाय पुत्र नहीं है। [illegible] का पुत्र रामधन, रामधन का पुत्र [illegible] व [illegible] का पुत्र [illegible] वादी है तथा [illegible] की विरासत का नामांतकरण उसके पुत्र रामधन के नाम खुलना चाहिये था और रामधन की मृत्यु के बाद [illegible] के नाम खुलना चाहिये था तथा [illegible] की मृत्यु के बाद उसके पुत्र [illegible] के नाम खुलना चाहिये था तथा [illegible] का एक मात्र वारिस [illegible] ही है। इस प्रकार उक्त भूमि का [illegible] के स्थान पर सतीराम व गंगासहाय के नाम नामांतकरण खुलकर खातेदारी हुई है वह गलत व अवैध है। अतः वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर वादी को हिस्सा 1/9 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

उपरोक्त वकील की बहस पर मनन किया पत्रावली में शामिल दस्तावेजों का अवलोकन किया। पत्रावली में शामिल ग्राम [illegible] की जमाबन्दी संवत 2075–78 की अराजी खसरा 1917/1.02, 1918/1.02, 365/1.15, 367/1.10 कुल किता 4 कुल रकबा [illegible] है में प्रतिवादीगण के [illegible] गंगासहाय पुत्र मौज्या हिस्सा 1/18, तथा सतीराम पुत्र मौज्या हिस्सा 1/18 के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। शेष हिस्से के मुताबिक जमाबन्दी में दर्ज

(सुनीता मीना)
[illegible]
[illegible]

..सानुसार अन्य सहखातेदार दर्ज रिकार्ड है। मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2043–62 प्रदर्श–3 ..नुसार हाल ख0न0 965 रकवा 0.15 है0 साबिक ख0न0 1194 से, हाल ख0न0 967 रकवा 0.10 है0 साबिक ख0न0 1188 से, हाल ख0न0 1917 रकवा 0.03 है0, 1918 रकवा 0.03 है0 साबिक ख0न0 1253 मिन से बने है। खतौनी बन्दोबस्त रानौली सम्वत 2000–2019 प्रदर्श 5 मे साबिक ख0न0 1194, 1188, 1253 मे फैली पुत्र बुद्वा हि.ब. खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। जो कि प्रदर्श–4,6,7 तक फैली पुत्र बुद्वा हिस्सा 1/9 दर्ज रिकार्ड रहा है। नामांतकरण न0 23 प्रदर्श–9 मे खातेदार फैली पुत्र बुद्वा जाति मीना सा.देह का विरासत नामांतकरण चिरंजी पुत्र रामधन जाति मीना के नाम स्वीकार हुआ है। तथा नामांतकरण न0 447 दिनांक 13.05.1973 से साबिक ख0किता 3 फैली पुत्र बुधराम हिस्सा 1/9 का विरासत नामांतकरण न0 रत्तीराम , गंगासहाय पि0 भौरया हिस्सा 1/9 स्वीकार हुआ है। उक्त शामिल पत्रावली मे दस्तावेजात अनुसार वादी द्वारा इस प्रकार का काई दस्तावेज पेश नही किया है। जिससे यह साबित होता हो कि वर्णित आराजीयात खातेदार फैली पुत्र बुद्वा जाति मीना हिस्सा 1/9 का वादी वारिसान है। वर्णित आराजीयात प्रतिवादीगण के नाम विरासत से आयी है। इसलिये वादी का वर्णित आराजीयात का वादपत्र पेश नही कर नामांतकरण की अपील करनी चाहिये थी। उक्त विवेचन के आधार पर वादी का दावा स्वीकार योग्य नही होने से खारिज किया जाता है।

आदेश

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र बावत घोषणा खातेदारी स्वीकार योग्य नही होने से खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 30.08.2024 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया

(सुनीता मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

(सुनीता मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला गंगापुर सिटी